

# “समावेशी शिक्षा का समालोचनात्मक अध्ययन”

डॉ. दिनेश कुमार शर्मा  
प्राचार्य

**M.B. College Of Education, Darbhanga**

E-mail:- [dinesh9269809255@gmail.com](mailto:dinesh9269809255@gmail.com)

Mobile No.- 9771936829

(Received: 20 June 2022/Revised: 10 July 2022/Accepted:-15 July 2022/Published: 20 July 2022)

## भूमिका

समावेशी शिक्षा— संसार में जब से मानव का जन्म हुआ है तभी से मानवों में विविधता रही है। कुछ मानव बाह्यिक दृष्टि से तेज रहे हैं, तो कुछ कमज़ोर हैं और कुछ मंद बुद्धि भी। इसी तरह शारीरिक दृष्टि से भी लोग एक-दूसरे से भिन्न होते हैं। किन्तु कभी-कभी रोग, बीमारी, आदि के कारण मनुष्यों में अधिक विभेद हो जाता है। और वैसे लोगों विशेष सहायता की आवश्यकता होती है परन्तु विद्यालयों में ऐसे लोगों की शिक्षा के लिये विशेष व्यवस्था नहीं है। जिसके कारण विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा ठीक तरह से नहीं हो पाती है। संविधान द्वारा जो समानता का अधिकार दिया गया है सबको समाज शिक्षा मिले। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भी विकलांग छात्रों को समान शिक्षा में शामिल करने पर बल दिया गया है। इस तरह समावेशी शिक्षा वैसी शिक्षा के लिये प्रयुक्त हो रही है जिसमें विशेष आवश्यकता वाले छात्रों जिनमें शारीरिक, मानसिक विकलांग हैं या अन्य विशेष आवश्यकता वाजं सामान्य विद्यालयों में सामान्य छात्रों के साथ शिक्षा दी जाये। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा—2005 में है कि समावेशी शिक्षा का मतलब सबको समाविष्ट करने से है। शिक्षा का समावेशीकरण यह स्पष्ट करता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग को समाज शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। पहले समावेशी शिक्षा की परिकल्पना सिर्फ विशेष छात्रों के लिये की गई थी लेकिन आधुनिक काल में हर शिक्षक को इस सिद्धान्त को विस्तृत दृष्टिकोण में अपनी कक्षा में व्यवहार में लाना चाहिए। समावेशी शिक्षा या एकीकरण के सिद्धान्त की ऐतिहासिक जड़े कनाडा और अमेरिका से जुड़ी है। प्राचीन शिक्षा पद्धति की जगह नई शिक्षा नीति का प्रयोग आधुनिक समय में होने लगा है। समावेशी शिक्षा विशेष विद्यालय या कक्षा को स्वीकार नहीं करता है। अशक्त बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग करना अब मान्य नहीं है विकलांग बच्चों को भी सामान्य बच्चों की तरह शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार है।

## **समावेशी शिक्षा की प्रक्रियाएँ**

समावेशी शिक्षा में चार प्रक्रियाएँ होती हैं—

1. सामान्यीकरण— वह प्रक्रिया है जो प्रतिभाशाली बालकों तथा युवकों को जहाँ तक संभव हो कार्य सीखने के लिये सामान्य सामाजिक वातावरण पैदा करे।
2. संस्थारहित शिक्षा— यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अधिक से अधिक प्रतिभाशाली बालकों तथा युवक छात्राओं की सीमाओं को समाप्त कर देती है जो आवासीय विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं एवं उन्हें जनसाधारण के मध्य शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्रदान करते हैं।
3. शिक्षा की मुख्य धारा— शिक्षा की मुख्य धारा वह प्रक्रिया है जिसमें प्रतिभाशाली बालकों को सामान्य बालकों के साथ दिन-प्रतिदिन शिक्षा के माध्यम से आपस में संबंध रखते हैं।
4. समावेशी— समावेशी वह प्रक्रिया है जो प्रतिभाशाली बालकों को प्रत्येक दशा में सामान्य शिक्षा कक्ष में उनकी शिक्षा के लिये लाती है समन्वित पृथक्करण के विपरीत है पृथक्करण वह प्रक्रिया है जिसमें समाज का विशिष्ट समूह अलग से पहचाना जाता है तथा धीरे-धीरे सामाजिक तथा व्यक्तिगत दूरी इस समूह की तथा समाज की बढ़ती जाती है। किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम—2000) उनकी देखभाल संरक्षण पुनर्वास का प्रावधान करता है जिसमें दत्तक ग्रहण, पोषण देखरेख प्रायोजक भी शामिल हैं।

## **समावेशी शिक्षा की विशेषताएँ**

1. समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसके अन्तर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा सामान्य बालक के साथ—साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस प्रकार समावेशी शिक्षा अपंग बालकों के पृथक्कीकरण के विरोधी व्यावहारिक समाधान है।
2. समावेशी शिक्षा विशिष्ट का विकल्प नहीं है समावेशी शिक्षा तो विशिष्ट शिक्षा का पूरक है। कभी—कभी बहुत कम शारीरिक रूप से बाधित बालकों को समावेशी शिक्षा संस्थान में प्रवेश कराया जा सकता है गम्भीर रूप से अपंग बालक को जो विशिष्ट शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ग्रहण करते हैं। सम्प्रेषण व अन्य प्रतिभा पा सकते हैं।
3. समावेशी शिक्षा का ऐसा प्रारूप दिया गया है जिसमें अपंग बालक को समान शिक्षा के अवसर प्राप्त हो ताकि वे समाज में अन्य लोगों की भाँति आत्मनिर्भर होकर अपना जीवनयापन कर सकें।
4. यह अपंग बालकों को कम प्रतिबंधित तथा अधिक प्रभावी वातावरण उपलब्ध कराती है। जिससे वे सामान्य बालकों के समान जीवन व्यतीत कर सके।
5. यह समाज में अपंग तथा सामान्य बालकों के मध्य स्वस्थ सामाजिक वातावरण तथा सम्बन्ध बनाने में समाज के प्रत्येक स्तर पर सहायक है। समाज में एक—दूसरे के मध्य दूरी कम तथा आपसी सहयोग की भावना को प्रदान करती है।
6. यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसक अन्तर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक भी सामान्य बालकों के समान महत्वपूर्ण समझे जाते हैं।

## **शैक्षिक निहिताथ**

समावेशी शिक्षा के लिए शिक्षक कक्षा में सहयोग की भावना बढ़ाने के लिये कुछ तरीकों का उपयोग करते हैं—

1. समुदया भावना को बढ़ाने के लिये खेलों का आयोजन किया जाना चाहिए।
2. विद्यार्थियों की समस्या के समाधान में शामिल करना चाहिए।
3. किताबों और गीतों का आदान—प्रदान करना चाहिए।
4. संबंधित विचारों का कक्षा में आदान—प्रदान करना चाहिए।
5. छात्रों को शिक्षक की भूमिका निभाने का अवसर देना चाहिए।
6. विभिन्न क्रियाकलापों के लिये छात्रों का दल बनाना।
7. अनुकूल वातावरण का निर्माण करना।
8. बच्चों के लिये लक्ष्य का निर्धारण करना।
9. अभिभावकों व समाज का सहयोग लेना चाहिए।
10. विशेष प्रशिक्षित शिक्षकों की सेवा ली जानी चाहिए।
11. कक्षा—कक्ष में सामूहिक प्रतियोगिताओं का आयोजन करना चाहिए।

## **समावेशी शिक्षा का महत्व**

1. शारीरिक दोषमुक्त विभिन्न बालकों की विशेष आवश्यकताओं की सर्वप्रथम पहचान करना तथा निर्धारण करना।
2. बालकों को सीखने की समस्याओं को ध्यान में रखते हुये कार्य करने की विभिन्न नवीन विधियों द्वारा छात्रों को शिक्षा प्रदान करना।
3. शारीरिक रूप से विकृतियुक्त बालकों का पुनर्वास कराया जाना चाहिए।
4. शारीरिक रूप से विकृतियुक्त छात्रों की शिक्षण समस्याओं की जानकारी प्रदान करना तथा सुधार हेतु सामूहिक संगठन की तैयारी किया जाना।
5. बालकों की असमर्थताओं का पता लगाकर उनके निवारण का प्रयास करना चाहिए।

## **संदर्भ ग्रन्थ**

1. सिंह रामपाल— अधिगम का मनोविज्ञान, अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा
2. झा मदन मोहन— समावेशी शिक्षा, प्रकाशन संस्थान, नई दिल्ली
3. विर्क जसवंत— अधिगम कर्ता अधिगम एवं संज्ञान—Twenty First Century Publication, Patiala
4. दूरस्थ शिक्षा L.N.M.U.—शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार
5. पाठक पी0डी0— शिक्षा मनोविज्ञान— श्री विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा
6. Geetha, V. (2007). Gender. Stree: Calcutta.
7. कुमार, कृष्ण, राज, समाज और शिक्षा, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली
8. विकिपीडिया